बिज़नेस स्टैंडर्ड

सैट ने ब्रिकवर्क रेटिंग्स पर लगे जुर्माने को रद्द किया

बीएस संवाददाता
मुंबई, 28 मार्च

कंपनी पर एक करोड़ रुपये का यह जुर्माना सेबी द्वारा लगाया गया था

प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने ब्रिकवर्क रेटिंग्स पर बाजार नियामक सेबी द्वारा लगाए गए एक करोड़ रुपये के जुर्माने को रद्द कर दिया है। सैट ने यह जुर्माना घटाकर 10 लाख रुपये कर दिया है और पाया है कि सेबी के आदेश में कुछ खास निष्कर्षों को बरकरार नहीं रखा जा सकता।

सेबी ने 29 सितंबर 2020 को जारी अपने आदेश में ब्रिकवर्क मामले में कई खामियों को संदर्भित किया था। इनमें निगरानी प्रणाली का अभाव, डायमंड पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर्स (एनसीडी) में चूक की पहचान में विलंब, रिव्यू रेटिंग में विफलता और ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कॉरपोरेशन के एनसीडी की रेटिंग वापस लिए जाने, एस्सेल ग्रुप इकाइयों की एनसीडी रेटिंग में चूक पहचानने में विफलता, और ढांचागत देयता से संबंधित उल्लंघन जैसे कारण मुख्य रूप से शामिल थे। ऐसी परिस्थिति में 1 करोड़ रुपये का जुर्माना बरकरार नहीं रखा जा सकता। हालांकि इनमें से सिर्फ कुछ मामलों को ध्यान में रखते हुए हमने संबद्ध निर्णायक अधिकारी के निष्कर्ष का समर्थन किया है।